

पशुपालन एवं डेरी विभाग

पशुपालन एवं डेरी विकास विभाग हरियाणा राज्य में पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुये पशुपालकों की सुविधा हेतु चिरकाल से ही विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है । पशुधन समाज व राष्ट्र के सामाजिक एवं आणथक विकास का मुख्य साधन होने के साथ-साथ स्वास्थ्य विकास का भी आधार है । आज राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 680 ग्राम है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 258 ग्राम है ।

राज्य में विश्व विख्यात पशुधन के विकास हेतु विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम पशुपालकों की सुविधा हेतु चलाये जा रहे हैं जिनका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :-

राज्य में सभी प्रकार के छोटे बड़े पशुओं को पशु चिकित्सा एवं प्रजनन की सुविधाएं प्रदान करने हेतु 2755 पशु संस्थाएं (942 पशु चिकित्सालय + 1809 पशु औषधालय + 4 पोलिकलीनिक) खोली गई हैं ।

इस प्रकार से प्रत्येक तीन गांवों पर पशु संस्था उपलब्ध हैं जिसमें पशु चिकित्सक/वीएलडीए की सहायता से पशु चिकित्सा/पशु प्रजनन सेवाएं निम्न अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं :-

16 अप्रैल से 15 अक्टूबर - (7.30 बजे से 2.00 बजे)

16 अक्टूबर से 15 अप्रैल - (8.30 बजे से 3.00 बजे)

नोट:- 1. रविवार व राजपत्रित अवकाश दिवसों पर संस्था बन्द रहेगी ।

2. आपातकालीन मरीजों को हर समय मुफ्त में ही देखा जाता है ।

3. यदि रोगी पशु चिकित्सालय न आ सके, तब भी किसान के घर द्वार पर आपातकालीन सेवा उपलब्ध रहेगी, मगर इसके लिए चिकित्सक को बाहर ले जाने वा वापसी के लिए साधन का प्रबन्ध पशुपालक द्वारा किया जायेगा ।

पशु स्वास्थ्य सेवाएं :-

राज्य का पशुधन स्वस्थ हो, इस उद्देश्य की पूणत हेतु दो प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं :-

(क) पशु बिमारी रोकथाम हेतु टीकाकरण :-

स्वस्थ पशुओं को संक्रामक/असंक्रामक घातक बिमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है । विभाग निम्न बिमारियों से बचाव के टीके उत्पादित /खरीद करता है और किसानों को यह सुविधा मुफ्त में दी जाती है :-

1. गलघोटू (एच.एस. वैक्सीन)

2. फड़ सूजन (बी. क्य. वैक्सीन)

3. भेड़ों में माता रोग के बचाव का टीका (शीप पॉक्स वैक्सीन)
4. भेड़ों में आंतशोध रोग के बचाव का टीका (ईन्टेरोटोक्सिमिया वैक्सीन)
5. भेड़ों में (पी. पी. आर. वैक्सीन)
6. पशुओं में मुँहखुर रोग (एफ.एम.डी. वैक्सीन)
7. सूकर में बुखार (स्वाईन फीवर वैक्सीन)

आप अपने पशुओं को निकटतम पशु चिकित्सालय /औषधालय से ये टीके लगवा सकते हैं ।

(ख) रोगी पशुओं के ईलाज की सुविधा : -

विभाग गांव -गांव पशु स्वास्थ्य शिवरों का आयोजन करता है । इन शिवरों में मुफ्त दवाईयां दी जाती है । किसान भाई इन कैम्पों का फायदा उठा सकते हैं और बीमार पशुओं का ईलाज करवा सकते हैं ।

पशु प्रजनन सुविधाएँ

उन्नत नस्ल के झोटों /साण्डों के बीज (सीमन) को हिमेंत करके त्रिम गर्भादान सुविधाएँ पशु संस्थाओं एवं पशुपालकों के घर द्वार पर क्रमशः 20/- रु0 व 70/-रु0 की रियायती दर पर प्रदान की जाती हैं । यह सुविधा हर समय प्रत्येक संस्था पर उपलब्ध है ।

पशुपालकों को उत्तम मुराह दुधारू भैंस पालने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है । जिसके लिए 25 किलोग्राम से अधिक दूध देने वाली भैंसों के पालकों को 25000/- रु0, 19 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक दूध देने वाली भैंसों के पालकों को 15000/- रु0, 16 किलोग्राम से अधिक व 19 किलोग्राम तक दूध देने वाली भैंसों के पालकों को 10000/-रु0 तथा 13 किलोग्राम से 16 किलोग्राम तक दूध देने वाली भैंसों के पालकों को 5000/-रु0 प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है । पशु संस्था में एक विभागीय टीम द्वारा दुग्ध मापन का कार्य किया जाता है । 50 या उससे अधिक भैंस जिस गाँव में चिन्हित होंगी को "आदर्श मुराह गांव" माना जाएगा व इस गाँव में मुराह ब्रीडरज एसोशियेशन बनाई जाएगी जिसके लिए 5.00 लाख रूपए सरकार द्वारा दिए जाएँगे

इन पशुओं से उत्पन्न अच्छे कटड़ों को 12 से 15 महीने की आयु के होने पर विभाग द्वारा खरीदा जाता है तथा उनका रख - रखाव करके उत्तम झोटे बनने पर पंचायतों को प्रौक्तिक प्रजनन हेतु मात्र 2000/रु0 में दिया जाता है ।

पशु बीमा योजना :-

राज्य में पशु बीमाकरण योजना उपलब्ध है जिसके तहत दूध देने वाले दुधारू पशुओं का बीमा किया जाता है तथा बीमा प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है । अनुसूचित जाति के पशुपालकों द्वारा पाले जा रहे सभी प्रकार के पशुओं का बीमा करने पर बीमा प्रीमियम की पूर्ण राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है । प्रौक्तिक आपदा में :-

प्रौक्तिक आपदा में बीमारी फैलने या प्रौक्तिक आपदाओं में पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु सरकार द्वारा दवाईयों की

खरीद व अन्य आवश्यकताओं बारे विशेष निधि का प्रावधान किया जाता है । विभाग द्वारा टीमों का गठन, आपत्कालीन सूचनाएँ आदान प्रदान करने हेतु सैन्टर, जिला व राज्य मुख्यालय स्तर पर खोले जाते हैं जहाँ पर 24 घण्टे सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं ।

डेरी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम

राज्य के बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं रोजगार की स्थापना हेतु 20 दुधारू पशुओं की डेरी इकाई खोलने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । इस स्कीम के तहत शिक्षित /अशिक्षित ,ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवक /युवतियां पात्र हैं । सभी दुधारू पशुओं का बीमा करवाया जाता है और बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत अंशदान सरकार द्वारा दिया जाता है तथा 25 प्रतिशत भाग लाभप्राप्तकर्ताओं द्वारा दिया जाता है । प्रत्येक यूनिट की स्थापना पर यूनिट कोस्ट की 15 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है । इन स्कीमों के अन्तर्गत प्रार्थी को लाभ प्राप्त करने के लिये जिला स्तर पर उप निदेशक, पशुपालन /सघन पशुधन विकास प्रयोजना, उप मण्डल अधिकारी, पशुपालन अथवा नजदीकी पशु चिकित्सालय में कार्यरत पशु चिकित्सक या पशुधन विकास सहायक से सम्पर्क करना होगा । लाभार्थी को 2-3 दिन की हाईटैक डेयरी बारे जानकारी प्राप्त करनी होगी, तत्पश्चात् ऋण आवेदन -पत्र विभाग के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं को (स्पोसर किये जाते) भेजे जाते हैं ।

दूध एवं दूध पदार्थ आदेश 1992 :

दूध एवं दूध पदार्थ आदेश 1992 के अन्तर्गत 10,000 लीटर प्रतिदिन या उससे अधिक दूध, दूध पदार्थ हैंडल करने वाली दुग्ध ईकाईयों को पंजीत किया जाता है । 2.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन अथवा 10,000 मिट्रिक टन सोलिड दूध प्रतिदिन तक हैंडल करने वाले दूध संयंत्रों /चिलिंग सैन्टरों को राज्य पंजीकरण प्राधिकारी तथा इससे अधिक दूध अथवा दूध पदार्थ हैंडल करने वाले दुग्ध संयंत्रों /चिलिंग सैन्टरों को केन्द्रीय पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाता है । आवश्यक औपचारिकताएं एवं सूचनाएं सम्बन्धित फर्म से प्राप्त होने उपरान्त पैंतालीस दिनों की अवधि में पंजीकरण जारी किया जाने का प्रावधान है । कोई भी दुग्ध संयंत्र बिना पंजीकरण के व्यवसाय नहीं कर सकता और राज्य में दूध एवं दूध पदार्थ आदेश - 1992 के प्रावधानों की पालना करना जरूरी है ।

पशु आहार आदेश 1992

राज्य में 4 नवम्बर, 1999 से पशु आहार आदेश लागू है । इस आदेश अनुसार कोई भी व्यवहारी मिश्रित पशु आहार, सांद्रण या खनिज मिश्रण का विनिर्माण, विक्रय या वितरण बिना भारतीय पंजीकरण के बिना नहीं कर सकता । ऐसे व्यवहारी को पंजीकरण हेतु प्रारूप 2 में निर्धारित फीस “ डेयरिंग 0404 “ के पावती शीर्ष में जमा कर खजाना चालान सहित

आवेदन सम्बन्धित जिले के उपनिदेशक के माध्यम से पंजीकरण प्राधिकारी को करना होता है । तीन वर्ष हेतु पंजीकरण / नवीनीकरण की फीस का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं.	पंजीकरण के लिए	नवीनीकरण के लिए	पंजीकरण प्रमाण पत्र की दोहरी प्रति के लिए
1.	विनिर्माता 1000/- रू0	500/- रू0	50/- रू0
2.	व्यवहारी 500/- रू0	250/- रू0	50/- रू0

पंजीकरण समाप्त होने से एक माह पूर्व पंजीकरण नवीनीकरण हेतु प्रारूप मे खजाना चालान की प्रति सहित आवेदन पंजीकरण प्राधिकारी को पहुँचना चाहिए ।

डेयरी विकास कार्यक्रमों सम्बन्धी आवेदन-पत्र /फार्मज की प्रतियाँ अनुलग्नक एण्ण पर सुविधा हेतु संलग्न हैं ।

विभाग द्वारा चलाई जाने वाली अंशकालीन/समकालीन योजनाएँ :

1.	पशु मुँहखुर रोग नियन्त्रण अभियान 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी लागू रहेगा और जो शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से संचालित होगा ।
2.	महिला जागरूकता प्रशिक्षण कैम्पों का आयोजन:- हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की सहायता से संचालित ।
3.	काफरैली आयोजन - यह एक एकीकृत प्रोग्राम है जो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा प्रायोजित है ।
4. (a)	इन्फर्टिलिटी प्रबन्धीकरण कैम्पों का आयोजन - जो राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना द्वारा प्रायोजित स्कीमें
(b)	जे. के. ट्रस्ट के साथ निजी भागीदारी द्वारा कृत्रिम गर्भाधान
(c)	किसानों और तकनीकी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण एवं स्टडी टूर तथा उत्तम प-नुपालक पुरस्कार ।
(d)	अनुसूचित जाति के परिवारों की बछड़ियों की फीड पूरक योजना ।
(e)	डेयरी विकास पर विशेष कार्यक्रम
5.	पशु बिमा योजना - जो कि राज्य सरकार व भारत सरकार की केन्द्रीय सहायता से प्रायोजित है ।
6.	अनुसूचित जाति के परिवार के लिए स्वयं रोजगार योजनाएं ।
(a)	दो दुधारू प-नु ।
(b)	सुकर पालन योजना ।
(c)	भेड़ पालन योजना ।
7.	स्वयं रोजगार योजना - हाई-टेक डेयरी योजना (राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित-20 पशुओं वाली योजना)

8.	संघन मुर्गाह विकास योजना - जो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा प्रायोजित है।
----	--

किसी भी सूचना एवं विस्तृत जानकारी हेतु सम्बन्धित पशु चिकित्सक /उपमण्डल अधिकारी (पशुपालन)/उप निदेशक (पशुपालन) से सम्पर्क किया जा सकता है ।

पशुपालन की सुविधा के लिये विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिये मुख्यालय तथा जिला स्तर पर सूचना सुविधा का काउंटर स्थापित है, जिसके लिये पशुपालक सभी जिला मुख्यालयों पर उप निदेशक, पशुपालन तथा निदेशालय पर डा0 साधू राम शर्मा, संयुक्त निदेशक, पशु प्रजनन, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग, हरियाणा , पशुधन भवन, सैक्टर-2, पंचकूला से सम्पर्क कर सकते हैं ।

शिकायत के समाधान एवं सुझाव हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :-

(क) मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारी और उनके दूरभाष नम्बर:

क्र0 सं0	अधिकारी का पद	कार्यालय पता	दूरभाष नम्बर
1.	महानिदेशक, पशुपालन एव डेरी, हरियाणा, पंचकूला	बेज नं0 9-12, पशुधन भवन, सैक्टर-2, पूचकूला	फैक्स 0172-2574662
2.	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/सी.सी.एफ. एस.टी.	--सम--	0172-2574664 पी..वी. एक्स
3.	संयुक्त निदेशक (पशु प्रजनन)	--सम--	0172-2574664 पी..वी. एक्स
4.	संयुक्त निदेशक (आयोजना)	--सम--	0172-2574664 पी..वी. एक्स
5.	क्रेडिट आयोजना अधिकारी	--सम--	0172-2574664 पी..वी. एक्स
6.	कुक्कुट विकास अधिकारी	--सम--	0172-2574664 पी..वी. एक्स
7.	गौशाला विकास अधिकारी	--सम--	0172-2574664 पी..वी. एक्स
8.	उप निदेशक (प-नु कल्याण)	--सम--	0172-2574664 पी..वी. एक्स
9.	उप निदेशक (प-नु चिकित्सा निष्ठा एवं प्रशिक्षण)	--सम--	0172-2574664 पी..वी. एक्स
10.	गौशाला विकास अधिकारी	--सम--	0172-2574664 पी..वी. एक्स

(ख) निदेशालय के ईलावा राज्य स्तरीय अन्य अधिकारी:

क्र० सं०	अधिकारी का पद
1.	मुख्य अधीक्षक, राजकीय पशुधन फार्म, हिसार
2.	प्रधानाचार्य, हरियाणा प्रशिक्षण पशुसंस्थान, हिसार
3.	निदेशक संस्थान, हरियाणा चिकित्सा टीका संस्थान, हिसार
4.	उपनिदेशक, भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार
5.	उपनिदेशक, ऊन विपणन
6.	क्षेत्र अधीक्षक-1, राज्य पशु प्रजनन प्रयोजना, हिसार
7.	क्षेत्र अधीक्षक-2, राज्य पशु प्रजनन प्रयोजना, हिसार
8.	क्षेत्र अधीक्षक-3, राज्य पशु प्रजनन प्रयोजना, हिसार

(ग) जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के पते व दूरभाष नम्बर :

क्र० सं०	अधिकारी का पद	कार्यालय पता	दूरभाष नम्बर
1.	मुख्य अधीक्षक	राजकीय पशुधन फार्म, हिसार	01662-225728
2.	प्रयोजना निदेशक	इक्वाईन प्रोडक्शन सैन्टर, हिसार	01662-270580
3.	उप निदेशक	पशुपालन, हिसार	01662-225819
4.	उप निदेशक	हरियाणा पशु चिकित्सा टीका संस्थान, हिसार	01662-237093
5.	क्षेत्र अधीक्षक-2	राज्य पशु प्रजनन प्रयोजना, हिसार	01662-275865
6.	उप निदेशक	सघन पशुधन विकास प्रयोजना, अम्बाला	0171-2530613
7.	उप निदेशक	सघन पशुधन विकास प्रयोजना, करनाल	0184-2267644
8.	उप निदेशक	सघन पशुधन विकास प्रयोजना, कुरुक्षेत्र	01744-220216
9.	उप निदेशक	सघन पशुधन विकास प्रयोजना, जींद	01681-245229
10.	उप निदेशक	सघन पशुधन विकास प्रयोजना, भिवानी	01664-242593
11.	उप निदेशक	सघन पशुधन विकास प्रयोजना, गुड़गाँव	0124-2202115

12.	उप निदेशक	सघन पशुधन विकास प्रयोजना, सिरसा	01666-245007
13.	उप निदेशक	पशुपालन, कैथल	01746&225075
14.	उप निदेशक	पशुपालन, सैक्टर 10, पंचकूला	0172-2572916
15.	उप निदेशक	पशुपालन, पानीपत	0180-2638524
16.	उप निदेशक	पशुपालन, झज्जर	01251-257067
17.	उप निदेशक	पशुपालन, फरीदाबाद	0129-2421558
18.	उप निदेशक	पशुपालन, नारनौल	01282-250221
19.	उप निदेशक	पशुपालन, रिवाड़ी	01274-225936
20.	उप निदेशक	पशुपालन, यमुनानगर	01732-242891
21.	उप निदेशक	पशुपालन, फतेहाबाद	01667-224642
22.	उप निदेशक	पशुपालन, रोहतक	01262-276439, 276869
23.	उप निदेशक	पशुपालन, पलवल	01275-245632
24.	उप निदेशक	पशुपालन, मेवात	01267 244277
25.	उप निदेशक	पशुपालन, सोनीपत	0130 2220170